The Uttarakhand Panchayat Laws (First Amendment) Act, 2007

Act 5 of 2007

Keyword(s):
Removal of Up Pradhan, Gram Panchayat

Amendment appended: 7 of 2008

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या–106

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 जुलाई, 2007 ई०
आषाढ़ 26, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1113/विधायी एवं संसदीय कार्य/2007
देहरादून, 17 जुलाई, 2007

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 16 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 05, सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2007
(उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 05, वर्ष 2007)

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (समय–समय पर यथासंशोधित तथा उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) को उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

मारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो:–

भाग–1

1. (1) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायत विधि (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2007 है। संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

भाग–2

धारा 14–ख की उपधारा (1) का संशोधन

2. संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त तथा समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 14–ख की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थातः–

"(1) उप प्रधान का हटाया जाना–ग्राम पंचायत ऐसी बैठक में जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलायी जाय और जिसकी कम से कम 15 दिन की पूर्व सूचना दी जाय, ग्राम पंचायत के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से उप प्रधान हो हटा सकती है।"

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttarakhand Panchayat Law (First Amendment) Act, 2007. (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 05 of 2007)

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on July 16, 2007:

No. 1113/XXXVI(4)/2007
Dated Dehradun, July 17, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND PANCHAYAT LAW (FIRST AMENDMENT) ACT, 2007

(UTTARAKHAND ACT no. 05 of 2007)

AN
ACT

further to amend the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 (as applicable to the State of Uttarakhand and as amended from time to time) in the context of State of Uttarakhand.

Be it enacted in the Fifty-eighth year of the Republic of India as follows:–

Part–1

Short title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called Uttarakhand Panchayat Law (First amendment) Act, 2007.

(2) It shall come into force at once.

(3) It shall be applicable to the whole State of Uttarakhand.

Part–2

Substitution of sub-section (1) section 14

2. In place of sub-section (1) of section 14-B of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 (as applicable to the State of Uttarakhand and as amended from time to time) the following sub-section shall be substituted, namely:--

"(1) **Removal of Up-Pradhan**–The Gram Panchayat may at a meeting specially convened for the purpose and of which at least fifteen days previous notice shall be given, remove the Up-Pradhan by a majority of two-third of the members of the Gram Panchayat."

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 विधायी/338–2007–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–111

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 28 मई, 2008 ई0
ज्येष्ठ 07, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1347/XXXVI (4)/2008
देहरादून, 28 मई, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 26 मई, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 07, सन् 2008 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2008
(अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2008)

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में यथा संशोधित एवं यथा प्रवृत्त) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा संशोधित एवं यथा प्रवृत्त) को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा भारत गणराज्य के 59वें वर्ष में निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अध्याय–दो

भाग–1

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947

धारा 11–क की उपधारा (3) एवं (4) का संशोधन

2. संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (समय–समय पर यथा संशोधित एवं उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 क में–

"उपधारा (3) एवं (4) में आये शब्द 'एक तिहाई से अन्यून' के स्थान पर शब्द 'आधे से अन्यून' रख दिये जायेंगे।"

धारा 12 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) एवं (ग) का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 12 में–

"उपधारा (5) के खण्ड (ख) एवं (ग) में आये शब्द 'एक तिहाई से अन्यून' के स्थान पर शब्द 'आधे से अन्यून' रख दिये जायेंगे।"

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961

धारा 6क, 7क, 18क तथा धारा 19क की उपधारा (2) एवं (3) का संशोधन

4. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (समय–समय पर यथा संशोधित एवं उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 6क, 7क, 18क तथा धारा 19क की उपधारा (2) एवं (3) में आये शब्द "एक तिहाई से अन्यून" के स्थान पर शब्द "आधे से अन्यून" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
आर० डी० पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand Panchayat Law (Amendment) Bill, 2008 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 07 of 2008) :–

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 26 May, 2008.

No. 1347/XXXVI(4)/2008
Dated Dehradun, May 28, 2008

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND PANCHAYAT LAW (AMENDMENT) ACT, 2008
(ACT No. 07 of 2008)

To further amend the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 (as amended from time to time and as applicable to the State of Uttarakhand) and the Uttar Pradesh Zila Panchayat Raj and Khestra Panchayat Act, 1961 (as amended from time to time and as applicable to the State of Uttarakhand) to the context of the State of Uttarakhand

AN

ACT

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the 59th year of the Republic of India as follows:--

Chapter-I

Preliminary

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Panchayat Law (Amendment) Act, 2008. Short title and Commencement

(2) It shall come in to force at once.

Chapter-II

Part-I

The United Provinces Panchayat Raj Act, 1947

2. In section 11-A of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 (as amended from time to time and as applicable to the State of Uttarakhand) (hereinafter referred to as Principal Act)-- Amendment of sub-section (3) and (4) of section 11A

"In place of words 'not less than one third' occurring in sub-section (3) and (4), the word 'not less than one half' shall be substituted."

3. In section 12 of the Principal Act-- Amendment of Clause (b) and (c) of sub-section 5 of section 12

"In place of words 'not less than one third' occurring in clause (b) and (c) of sub-section (5), the word 'not less than one half' shall be substituted."

Chapter-III

The Uttar Pradesh Khestra Panchayat and Zila Panchayat Act, 1961

4. In section 6A, 7A, 18A and section 19A of the Uttar Pradesh Khestra Panchayat and Zila Panchayat Act, 1961 (as amended from time to time and as applicable to the State of Uttarakhand) the words "not less than one half" shall be substituted in place of words "not less than one third", occurring in sub-section (2) and (3). Amendment of sub-section (2) and (3) of section 6A, 7A, 18A and section 19A.

By Order,

R.D. PALIWAL,

Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 16 विधायी/391–2008–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।